अभ्यास पत्रक

पाठ – दुःख का अधिकार

नाम :- ..... कक्षा :- ..... अवधि :- ..... अनुक्रमांक :- ..... प्राप्तांक :- .....

1. गद्यांश पढ़िए और उत्तर दीजिए – (3 अंक)

"मुँह में कपड़ा ठूँसे, चादर सिर से मुँह तक ओढ़े, वह स्त्री इस प्रकार बिलख रही थी जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। परंतु उसकी रोने की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी।"

1. स्त्री ने अपने मुँह को कपड़े से क्यों ढक रखा था?

उत्तर - .....

2. वह स्त्री किस बात पर बिलख रही थी?

उत्तर - .....

3. उसके दुःख का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर - .....

2. कथन और कारण पर आधारित प्रश्न (Assertion-Reason) – (2x1=2 अंक)

4. **कथन:** लेखक उस स्त्री के दुःख से पूरी तरह प्रभावित हुआ।
   कारण: लेखक का मन विह्वल हो उठा और वह उसके समीप नहीं जा सका।
   (क) A: सही, R: सही और R कथन की सही व्याख्या है।
   (ख) A: सही, R: सही पर R कथन की व्याख्या नहीं है।
   (ग) A: सही, R: गलत
   (घ) A: गलत, R: सही
5. **कथन:** समाज में समानता की भावना व्याप्त है।
   कारण: गरीब और अमीर को समान संवेदना मिलती है।
   (क) A: सही, R: सही और R कथन की सही व्याख्या है।
   (ख) A: सही, R: सही पर R कथन की व्याख्या नहीं है।
   (ग) A: सही, R: गलत
   (घ) A: गलत, R: गलत

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए – (5x1=5 अंक)

6. लेखक उस स्त्री की पीड़ा को देखकर क्या सोचने लगा?

उत्तर - .....
.....

7. वह स्त्री अपने बेटे के मरने के बाद भी बाजार क्यों आई?

उत्तर - .....
.....

8. 'भीख' और 'बिक्री' में लेखक ने क्या अंतर बताया?

उत्तर - .....
.....

9. बुढ़िया ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद किसका सहयोग नहीं पाया?

उत्तर - .....
.....

egyanarchive

10. लेखक के अनुसार समाज का व्यवहार उस स्त्री के प्रति कैसा था?

उत्तर - .....

.....

4. लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक, कुल 6 अंक)

11. लेखक उस स्त्री की मदद क्यों नहीं कर पाया?

उत्तर - .....

.....

.....

12. लेखक की 'अधिकारी पोशाक' उस समय बोझ क्यों बन गई थी?

उत्तर - .....

.....

.....

13. लेखक किस सामाजिक विडंबना को उजागर करना चाहता है?

उत्तर - .....

.....

.....

5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न – (4 अंक) *(उत्तर 100–120 शब्दों में दीजिए)*

14. पाठ 'दुःख का अधिकार' में लेखक ने समाज की किस असंवेदनशील मानसिकता की ओर संकेत किया है?

उत्तर - .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. निबंधात्मक प्रश्न – (5 अंक) *(उत्तर 160–180 शब्दों में दीजिए)*

15. "गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक असमानता की जड़ है" – इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए।

उत्तर - .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

eGyanarchive

उत्तर कुंजी

1. ताकि वह अपना रोना लोगों से छिपा सके।
2. वह अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मना रही थी।
3. समाज ने उसकी पीड़ा की उपेक्षा की और उसे दोषी ठहराया।
4. (क)
5. (घ)
6. लेखक को लगा कि वह केवल देख पा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता।
7. आर्थिक विवशता और भूख के कारण।
8. भीख आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है, जबकि मेहनत से बेचना आत्मनिर्भरता है।
9. समाज और पड़ोसियों का।
10. उपेक्षा, तिरस्कार और कठोरता भरा व्यवहार।
11. उसकी सामाजिक स्थिति, पोशाक और पद ने उसे बाँध रखा था।
12. क्योंकि उस पोशाक में वह सीधे उस औरत के पास जाकर सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकता था।
13. समाज गरीबों के दुःख को महत्व नहीं देता, यह सामाजिक अन्याय है।
14.

पाठ 'दुःख का अधिकार' में लेखक यशपाल समाज की उस असंवेदनशील मानसिकता को उजागर करते हैं जिसमें एक गरीब स्त्री अपने बेटे की मृत्यु पर भी सार्वजनिक रूप से दुःख नहीं मना सकती। समाज की धार्मिक, सामाजिक और मानसिक संकीर्णताएँ उसके आँसू तक छीन लेती हैं। लोग उसकी विवशता को न समझकर उसे 'सूतक भंग' करने वाली और नीच कहते हैं। लेखक इस स्थिति से गहरे व्यथित हैं और मानते हैं कि यदि किसी को शोक प्रकट करने का भी अधिकार नहीं है तो यह समाज के लिए शर्मनाक बात है। इस मार्मिक दृश्य से लेखक हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या दुःख भी अब वर्गों में बँट चुका है?

15.

गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक असमानता की भी अभिव्यक्ति है। एक गरीब व्यक्ति जब दुःखी होता है, तो समाज उसे सहानुभूति देने के बजाय उसकी परिस्थितियों पर उंगली उठाता है। 'दुःख का अधिकार' पाठ में यही बात दर्शायी गई है कि कैसे एक गरीब माँ, अपने बेटे के निधन के बाद भी, पेट की आग बुझाने के लिए बाजार आती है। वहाँ भी लोग उसकी पीड़ा को नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति को अपवित्र मानते हैं। यह सामाजिक सोच इस बात को दर्शाती है कि गरीबों की भावनाओं को कोई मूल्य नहीं दिया जाता। उनके लिए न चिकित्सा, न सहानुभूति और न ही दुःख मनाने की स्वतंत्रता होती है। यह वर्गभेद ही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब तक हम हर इंसान को केवल इंसान समझकर समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक कोई भी देश या समाज सच्चे अर्थों में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।